



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270407
CG-DL-E-23022026-270407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 903]

नई दिल्ली, सोमवार, 23 फरवरी, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 903]

NEW DELHI, MONDAY, 23 FEBRUARY, 2026/PHALGUNA 4, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 947(अ).—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने श्री राघव लैंगर, भा.प्र.से. को दिनांक 21.03.2025 से 03.10.2025 तक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का सचिव नियुक्त किया है और अब सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के रूप में उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की संयुक्त अवधि को दिनांक 03.10.2025 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों, तक जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3260 (इ), दिनांकित 24 सितंबर, 2020 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

उक्त अधिसूचना में पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(6) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सचिवालय के सचिव को, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, दिनांक 03.10.2025 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है:

श्री राघव लैंगर, भा.प्र.से.”।

[फा. सं. V.11013/01/2019एमईपी/एमई-1]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 3260(इ), दिनांक 24 सितंबर, 2020 के अधीन प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 2036 (अ), दिनांक 28 मई, 2021 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 947(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 5 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government has appointed Shri. Raghav Langer, IAS as Secretary of the National Medical Commission on 21.03.2025 upto 03.10.2025 and now extended the combined tenure of central deputation tenure as Secretary, NMC for a period of one year beyond 03.10.2025 or until further orders, whichever is earlier and for that purpose, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3260(E), dated the 24th September, 2020.

In the said notification, for paragraph (6), the following paragraph shall be substituted, namely: -

“(6) Under sub-section (1) of section 8, the Secretary of the Secretariat for the National Medical Commission, as specified below, is appointed for a period of one year beyond 03.10.2025 or until further orders, whichever is earlier:

Shri. Raghav Langer, IAS”.

[F. No. V.11013/01/2019MEP/ME-I]

VINOD KOTWAL, Addl Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3260(E), dated 24th September, 2020 and last amended *vide* number S.O 2036 (E), dated the 28th May, 2021.